

प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक 23.09.2021

एटीएम से धोखाधड़ी कर पैसा निकालने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, 09 एटीएम कार्ड, 01 अदद एमएसआर रीडर मशीन, एक अदद लैपटॉप व एक अदद मोटर साइकिल बरामद (थाना मांधाता)

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री सतपाल अंतिल के कुशल निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु निरन्तर अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कल दिनांक 22.09.2021 को स्वाट टीम जनपद प्रतापगढ़ व थाना मांधाता पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थानाक्षेत्र मांधाता के बकुलाही नदी पुल ग्राम बैशपुर के पास से एटीएम से फ्राड करने वाले एक व्यक्ति सूरज सरोज पुत्र रामसुख सरोज नि0 लाखापुर थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़ को एक अदद बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 09 अदद एटीएम कार्ड, एक अदद एमएसआर रीडर मशीन मय डाटा केबल, एक अदद लैपटॉप मय चार्जर बरामद किया गया।

पंजीकृत अभियोग—

01— मु0अ0सं0 366/2021 धारा 411, 419, 420, 467, 468, 471 भादंवि।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

1. सूरज सरोज पुत्र रामसुख सरोज नि0 लाखापुर थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़ ।

बरामदगी:—

1. 09 अदद एटीएम कार्ड।
2. एक अदद एमएसआर रीडर मशीन मय डाटा केबल।
3. एक अदद लैपटॉप मय चार्जर।
4. एक अदद मोटर साइकिल।

‘पूछताछ का विवरण—’

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं एटीएम से पैसा निकालने वालों के साथ धोखाधड़ी कर उनका पैसा निकाल लेता हूँ। इसके लिए मैं एटीएम के पास खड़ा रहता हूँ, जो व्यक्ति पैसा निकालने आता है उसके नजदीक खड़े होकर, उसका ध्यान भटकाकर एवं झांसा देकर उसका एटीएम कार्ड बदल लेता हूँ, और उस कार्ड से अपने पास रखी एमएसआर रीडर मशीन में एटीएम स्वैप करके पैसे निकाल लेता हूँ। इसके अलावा एटीएम मशीन को बटनों के माध्यम से नाजायज तरीके से हैक कर देता हूँ और जब कस्टमर वहां से चला जाता है तो पुनः एटीएम मशीन को सही कर उस कस्टमर के पैसे निकाल लेता हूँ।

पुलिस टीम—

- प्रभारी स्वाट टीम श्री अमर नाथ राय, मु0आरक्षी जाहिर खान, मु0आरक्षी सुरेश कुमार सिंह, मु0आरक्षी महेन्द्र प्रताप, आरक्षी राजेन्द्र कुमार, आरक्षी जागीर सिंह स्वाट टीम प्रतापगढ़।
- उ0नि0 श्री दयाल दास, उ0नि0 श्री शहंशाह खान मय हमराह थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़।

एक अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस के साथ, 01 अभियुक्त गिरफ्तार (थाना पट्टी)—

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री सतपाल अंतिल द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु निरंतर दिये जा रहे निर्देश के क्रम में आज दिनांक 23.09.2021 को थाना पट्टी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थाना क्षेत्र पट्टी के भरोखन पुलिया के पास से एक अभियुक्त आस्कर सिंह पुत्र हरिप्रताप सिंह नि0 करमाही थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर, बरामद किया गया, इस संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 345/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

1. आस्कर सिंह पुत्र हरिप्रताप सिंह नि0 करमाही थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी—

01. एक अदद तमंचा 12 बोर।
02. एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।

पुलिस टीम— प्रभारी निरीक्षक श्री गणेश प्रसाद सिंह, का0 अभिषेक सिंह, का0 राहुल यादव व का0 विकेश मिश्रा थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

'अपहरण के अभियोग से संबंधित वांछित अभियुक्त गिरफ्तार (थाना आसपुर देवसरा) —'

जनपद के थाना आसपुर देवसरा से उ0नि0 श्री तिलक सिंह मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 218/2021 धारा 363 भादंवि से संबंधित वांछित अभियुक्त संदीप विश्वकर्मा पुत्र नन्हेलाल विश्वकर्मा नि0 चारोपुर थाना महाराजगंज जनपद जौनपुर को थानाक्षेत्र आसपुर देवसरा के भनईपुर गांव के पास रोड पर से गिरफ्तार किया गया व अपहृता को बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 18.09.2021 को अभियुक्त संदीप विश्वकर्मा उपरोक्त द्वारा वादी की 15 वर्षीय पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया था। इस संबंध में वादी की तहरीर पर थाना आसपुर देवसरा में मु0अ0सं0 218/2021 धारा 363 भादंवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

'गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:—'

1. संदीप विश्वकर्मा पुत्र नन्हेलाल विश्वकर्मा नि0 चारोपुर थाना महाराजगंज जनपद जौनपुर।

'पुलिस टीम—' उ0नि0 श्री तिलक सिंह, हे0का0 प्रकाश यादव व म0का0 मोनिका थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

850 ग्राम अवैध गांजा के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार (थाना रानीगंज)—

जनपद के थाना रानीगंज से उ0नि0 श्री प्रमोदकुमार यादव मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थानाक्षेत्र रानीगंज के ग्राम राजापुर से खरहर जाने वाले मार्ग के किनारे बाग में से एक व्यक्ति अनिल कुमार मिश्रा पुत्र ब्रिजेन्द्र मिश्रा नि0 बलीपुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ को 850 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना रानीगंज पर मु0अ0सं0 517/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

1. अनिल कुमार मिश्रा पुत्र ब्रिजेन्द्र मिश्रा नि0 बलीपुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी—

01. 850 ग्राम अवैध गांजा।

पुलिस टीम— उ0नि0श्री प्रमोद कुमार यादव, मुख्य आरक्षी इरफान अहमद व आरक्षी रवि सिंह थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार (थाना अन्तू)

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री सतपाल अंतिल के निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अन्तू के थानाध्यक्ष श्री अर्जुन सिंह मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर, मु0अ0सं0 122/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त सोनू पाल पुत्र उमाशंकर नि0 मटियारी दादूपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्र अन्तू के सड़वा चण्डिका के पास से गिरफ्तार किया गया।

01 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार (थाना आसपुर देवसरा)–

जनपद के थाना आसपुर देवसरा से उ0नि0 श्री महेश कुमार मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग/तलाश वांछित के दौरान थाना आसपुर देवसरा के गौरामाफी से मा0 न्यायालय प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय प्रतापगढ़ के वाद संख्या 233/18 से संबंधित वारंटी अभियुक्त आशीष वर्मा उर्फ अंकित वर्मा पुत्र उमाशंकर वर्मा नि0 सराय परसुराम थाना महाराजगंज जनपद जौनपुर, वर्तमान पता गौरामाफी थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

02 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार (थाना महेशगंज)–

जनपद के थाना महेशगंज से थानाध्यक्ष श्री आशुतोष कुमार त्रिपाठी मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग/तलाश वांछित के दौरान थाना स्थानीय के एसटी नं0 13/20 मु0अ0सं0 140/2018 धारा 147, 148, 308, 504, 506, 324, 325, 307 भादवि से संबंधित दो वारंटी अभियुक्तों 1.दूधनाथ पाल पुत्र श्रीनाथ पाल नि0 शिवप्रसाद का पुरवा मजरे रायगढ़ थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ 2. रामप्रवेश पाल पुत्र रामस्वरूप पाल नि0 शिवप्रसाद का पुरवा मजरे रायगढ़ थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ को उनके घर से गिरफ्तार किया गया।